संख्या 282/– व. ग्रा. वि/2001

प्रेषक

केशव देसिराजु,
सचिव,
उत्तरांचल शासन.

सेवा में

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तरांचल,
कैम्प कार्यालय– देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग देहरादून : दिनांक : 5 फरवरी, 2001

विषय : उत्तरांचल राज्य में उत्पादित लीसा आवंटन एवं वितरण हेतु नीति निर्धारण.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके अर्द्ध शा0 पत्र संख्या 165/वै. स., दिनांक 13 दिसम्बर 2000 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नवगठित उत्तरांचल राज्य में लीसा आवंटन एवं वितरण हेतु श्री राज्यपाल वर्ष 2000–2001 (2000 लीसा फसल) से निम्न निर्णय/व्यवस्था लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :

1. प्रतिवर्ष निम्नलिखित इकाइयों को शासन द्वारा निर्धारित मुल्य पर लीसा के उपलब्ध कुल उत्पादन में से उनकी सम्मुख अंकित मात्रा में लीसा आवंटित किया जाय :

क्रमांक	इकाई का नाम	संख्या	प्रतिशत तक	अभ्युक्ति
1.	कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम की इकाइयां	2	45	समान मात्रा में
2.	पी. सी. एफ. की हल्द्वानी स्थित इकाई	1	5	
3.	खादी बोर्ड/खादी कमीशन की कार्यरत एवं पंजीकृत इकाइयां	9	10	समान मात्रा में
	योग :	11	60	

2. शेष 40 प्रतिशत लीसा का निस्तारण उ0 प्र0 लीसा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत लीसा से सम्बन्धित उत्पादों के लिये उत्तरांचल वन विभाग में पंजीकृत एवं वास्तव में कार्यरत अन्य इकाइयों के बीच वर्ष 2000–01 के प्रतिवर्ष खुली नीलामी के आधार पर किया जाय.

3. उक्त 40 प्रतिशत लीसा की नीलामी में शासन से आवंटन की सुविधा प्राप्त करने वाली इकाइयां भाग नहीं ले सकेंगी।
4. लीसा आवंटन किये जाने के बाद निर्धारित समयावधि तक आवंटी इकाइयों द्वारा लीसा उठान न किये जाने पर उक्त न उठाई गई लीसा की मात्रा का वन विभाग में पंजीकृत व कार्यरत इकाइयों के मध्य आवंटन मूल्य पर कैश एण्ड कैरी के आधार पर निस्तारण न हो तो ऐसी मात्रा को सार्वजनिक नीलामी, टेण्डर के माध्यम से निस्तारित किया जाय.
5. आवंटित किये जाने वाले लीसा का मूल्य निर्धारण शासन द्वारा किया जाता रहेगा।
6. नई लीसा नीति में स्वरोजगार सृजन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा. इसका उत्तरदायित्व कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगमों की इकाइयों को उठाना होगा. उनको आवंटित लीसा मात्रा से लगभग 30,000 क्विंटल विरोजा एवं 50,000 लीटर तारपीन तेल की प्राप्ति होगी. वे इन लीसा उत्पादों को सीधे बाजार में बेचने के बजाय इन पर आधारित वार्निश, पेन्ट्स, पाइन ऑयल, परफ्यूमरी आदि कुटीर उद्योगों को लगाने हेतु स्थानीय पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवकों (1) प्रशिक्षित करवाने (2) उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाने (3) उन्हें उद्योग स्थापित करने में तकनीकी व वित्तीय सहायता दिलवाने (4) उन्हें विरोजा तारपीन उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने में सहायता करेंगे।
7. उपयुक्त प्रस्तावों में उल्लिखित एवं शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार प्रतिवर्ष उत्पादित/उपलब्ध लीसा का निस्तारण प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल के स्तर से किया जायेगा।
8. लीसा के उत्पादन में कमी को देखते हुए पूर्व की भांति लीसा अथवा इसके उत्पाद पर आधारित किसी भी नई इकाई का पंजीकरण अगले आदेशों तक नहीं किया जायेगा।
9. लीसा इकाइयों को लीसा आवंटन यथा सम्भव समीपस्थ मोटर/रेल हेड से किया जायेगा।
10. जो लीसा इकाई/उद्योग आवंटित लीसा निर्धारित समय के भीतर नहीं उठाती है एवं अन्य नियमों का पालन नहीं करती, उनका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा काली सूची में उनका नाम अंकित करने के साथ–साथ वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।
11. प्रत्येक लीसा इकाई समस्त श्रोतों से प्राप्त लीसे का सदुपयोग एवं दैनिक उत्पादन का लेखा–जोखा रखेगी।
12. प्राप्त लीसा की प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त ईंधन का विवरण भी प्रत्येक लीसा उद्योग/इकाई द्वारा किया जायेगा।
13. प्रत्येक लीसा इकाई नया आवंटन उठाने/नीलामी में भाग लेने से पूर्व समस्त श्रोतों से प्राप्त लीसा के सदुपयोग, ईंधन संबंधी विवरण के साथ–साथ पूर्व प्राप्त लीसा से निर्मित लीसा उत्पाद पर भुगतान किये गये विक्रीकर का विवरण भी संबंति वनाधिकारी को प्रस्तुत करेगी।
2. कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

भवदीय,
ह0
(केशव देसिराजु)
सचिव

संख्या (1)/– व. ग्रा. वि./2001, तद्दिनांकित,
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
1. सचिव,वित्त/उद्योग/सहकारिता/खादी ग्रामोद्योग, उत्तरांचल.
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल.
3. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल.
4. समस्त उप वन संरक्षक, उत्तरांचल.
5. प्रबन्ध निदेशक, कुमांयू मण्डल विकास निगम लि0/गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0, उत्तरांचल.
6. वन उपयोग अधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून.
7. गार्ड फाईल.

आज्ञा से
ह0
किशन, नाथ
उपसचिव